मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24 /04/2019

क्रमांक एफ 12-08/2019/32-3-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 338 (ई) दिनांक 23/03/2016 द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 प्रकाशित किये गये हैं जो सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01/10/2016 से प्रभावशील हैं। नियमों में इलेक्ट्रानिक्स व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग पश्चात् प्राधिकृत संस्थाओं के माध्यम से अपवहन (Disposal) किये जाने का प्रावधान है।

2/ मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण क्रमांक 512/2018 (शैलेश सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में उक्त नियमों के प्रावधानों के प्रदेश में पालन की समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

1.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन	-अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी,मध्य प्रदेश शासन अथवा उनके प्रतिनिधि	-सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश शासन अथवा उनके प्रतिनिधि	-सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन अथवा उनके प्रतिनिधि	-सदस्य
5.	क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	-सदस्य
6.	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	- संयोजक

3/ वर्ष में कम से कम दो बार बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(अनुपम राजन)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

dc

पृ.कमांक एफ 12-08 /2019/32-3 भोपाल,दिनांक 24/04/2019

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग,मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय,भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहकार भवन, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय ।
7. विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
8. उपसचिव,मुख्य सचिव कार्यालय की ओर टीप कमांक 2836/सीएस/मॉनिट/2019,दिनांक 18/4/2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त मॉनिट प्रकरण को लंबित प्रकरणों की सूची से विलोपित करने का कष्ट करें ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग